

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

| | | | |
|--|--|---------|---|
| जज अदालत | कार्यालय संभागीय आयुक्त | मुकाम | कोटा |
| अशोक कुमार गौतम पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण नि० देवनारायण मन्दिर के पास शिवपुरा कोटा | | बनाम | सरकार सचिव, नगर विकास न्यास , सीएडी सर्किल कोटा |
| किस्म मुकदमा | अपील अन्तर्गत धारा 90-ए(12) दी राजस्थान अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955 | केस नं० | 18 / 2019 |

जिला-कोटा

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 18.11.2019 | <p>अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ शर्मा के अपील अन्तर्गत धारा 90-ए(12) दी राजस्थान अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955 में रेस्पोंड के विरुद्ध पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस एडमिशन अपील अभिभाषक अपीलार्थी सुनी जाकर बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रकरण सं० 102/2018 धारा 92 (ए) व 92 (बी) राज० नगर सुधार अधिनियम 1959 अन्तर्गत दिनांक 11.7.2019 को निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलग्रस्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय हाजा में राज० अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955 सपटित धारा 75 एलआरएक्ट में प्रश्नगत अपील पेश की गई है। विधी अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 92 (ए) व 92 (बी) में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील के श्रवणाधिकार की शक्तियों धारा 92-ए(12) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को प्रदत्त होने से प्रश्नगत मूल अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलार्थी को लोटायी जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर मूल अपील नियमानुसार अपीलार्थी को लोटायी जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> | |

५२
संभागीय आयुक्त
कोटा